The Court of Smt. Chughani
T.S 45/95

4.01.20 – वादी अनुपस्थित है। प्रतिवादी का वकील है। वाद के बार बार पुकारे पर संध्या द्वितीय पाली तक उभय पक्ष में कोई भी उपस्थित नहीं हुए। उभय पक्ष को पुनः लिखा जाता है कि पुराने वाद में इन्हें अधिवक्ता उभय पक्ष अपने अधू एवं कोर्ट कार्यालय के हिन्दी रूपांतरण तैयार करें तब तक सभी आज ही उपस्थित रहें अन्यथा उचित आदेश पारित का लिखा जायेगा। वाद दि. 28.01.20 को रूपांतरित कार्यालय तैयार की वहीं है।

28.01.20 – उभय पक्ष अनुपस्थित है। वाद के बार-बार पुकारे पर संध्या द्वितीय पाली तक कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं हुए। वादी अभिभाषक के अवलोकन से विदित होता है कि वादी की ओर से विलंब किया जा रहा है। कोई पैरवी नहीं किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार दर्शाता है कि वादी का वाद में कोई अभिरुचि नहीं रह गया है। ऐसी परिस्थिति में इस पुराने वाद को लंबित रखना न्याय का मात्र दुरुपयोग होगा। अतः वाद खारिज किया जाता है। अधिवक्ता नियमानुसार अभिलेख अभिलेखागार में जमा कराये।

dt. 28.01.2020

Dismissed for default